



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
Email- jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2019/6195

दिनांक:- 11.04.2019

-:कार्यवाही विवरण:-


भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2019 वीं बैठक दिनांक 10.04.2019 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।


एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
01	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 512 आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 02/2019 वीं बैठक दिनांक 10.04.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आनन्द विहार योजना खसरा संख्या 512 ग्राम मोकलावास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना प्राधिकरण की अनुमोदित योजना झरना विहार योजना खसरा संख्या 88 ग्राम बडली के समीप स्थित है। 2. अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर मुटाम लगाये जाने पर आनन्द विहार योजना में विद्यमान चौखा रोड को अनुमोदित मानचित्र अनुसार रखने पर दोनों योजनाओं की सीमा में ओवरलेप हो रहा है। 3. अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ओवरलेप होने वाले भाग को आनन्द विहार योजना में सगायोजित करते हुये व योजना की सीमा को दक्षिण दिशा में बढ़ाते हुये संशोधित मानचित्र तैयार किया गया। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में संशोधित मानचित्र अनुसार मौके पर मुटाम लगाये जाने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 2. निदेशक अभियांत्रिकी को ओवरलेप होने के कारण बदली गयी योजना की सीमा में कोई अतिक्रमण न हो, की सुनिश्चितता हेतु निर्देशित किया गया। 3. पूर्व में अनुमोदित मूल मानचित्र पर " भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 02/2019 वीं बैठक दिनांक 10.04.2019 में संशोधित किया गया" के अंकन हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।
02	दक्षिण	<p>विवेक विहार व्यावसायिक योजना में 10 ब्लॉक की योजना अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 02/2019 वीं बैठक दिनांक 10.04.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>विवेक विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के विभिन्न सेक्टर में व्यावसायिक उपयोग हेतु ब्लॉक आरक्षित है। उक्त योजना में भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 27.02.2019 को सात व्यवसायिक ब्लॉक के ले आउट अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 10 ब्लॉक सी1/100, सी3/100, सी4/100, डी1/160, डीजे/100/(1), डीजे/100/(2), डी1/100, एफ1/160, एफ2/160, एफ3/160 की मौका रिपोर्ट व विवेक विहार योजना आवाप्तसुदा भूमि आवंटन की लॉटरी अनुसार व अनुमोदित मानचित्र अनुमोदित प्लानिंग कर मानचित्र तैयार किये गये है।</p> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में व्यवसायिक ब्लॉक में दर्शाये गये रिजर्वड एरिया के स्थान पर जेडीए प्लॉट अंकित किया जावे। 2. व्यवसायिक ब्लॉक में शेष रहे कॉर्नर प्लॉट में भूखण्ड संख्या अंकित की जावे।


[Handwritten signatures and initials]


			3. प्रकरण में भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 27.02.2019 को ज्ञात व्यवसायिक ब्लॉक के अनुमोदित ले-आउट प्लान में भी उक्त बिन्दु संख्या 01 व 02 अनुसार संशोधन किया जावे।
03	दक्षिण	राजस्व ग्राम मोंगडा केल्लां के खसरा संख्या 142, 295 के भूमि का ट्रांसपोर्ट व ऑटोमोबाईल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित बाबत। आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की C2/2019 वीं बैठक दिनांक 10.04.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. खसरा संख्या 142, 295 में प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर व ऑटोमोबाईल योजना प्रस्तावित की गई है। 2. उक्त योजना में विभिन्न माप को व्यवसायिक भूखण्ड व पार्किंग ओ.सी.एफ वेईंग ब्रीज पेट्रोल पम्प होटल बैंक इत्यादि सुविधाएं प्रस्तावित की गई है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में मानचित्र में दर्शाये गये 80' x 120' के भूखण्डों का माप 50'x120' अथवा 60'x120' करते हुये तदानुसार मानचित्र में संशोधन करते हुये ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
04	दक्षिण	ट्रिवेक विहार योजना में आरक्षित ओ0सी0एफ भूखण्डों के अंतिम उपयोग का निर्धारण करने बाबत। आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 02/2019 वीं बैठक दिनांक 10.04.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- प्राधिकरण की पूर्व में अनुमोदित योजनाओं में सुविधा क्षेत्र का विशिष्ट उपयोग अंकित नहीं किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर समय-समय पर हुई चर्चा के क्रम में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 में उल्लेख अनुसार अनुमोदित योजनाओं में आरक्षित सुविधा क्षेत्रों के अंतिम उपयोगों हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 में उल्लेख अनुसार सुविधा क्षेत्रों हेतु आरक्षित भूखण्डों का आवश्यकतानुसार सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रयोजनार्थ उपयोग अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया।


आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है। साथ ही आयुक्त महो. द्वारा आगामी बैठक में पूर्व बैठक की पालना रिपोर्ट को एजेण्डा संख्या 01 में प्रस्तुत करने हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।



(गौरव अग्रवाल)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(ओ.पी. बुनकर)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(ए.के. गुप्ता)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(श्रवणसिंह राजावत)
उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(ओ.पी. विशनोई)
उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट-“1”
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2019 वीं बैठक दिनांक 10.04.2019 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
2. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्री ओ.पी. विश्णोई, उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।
6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।


अध्यक्ष
संयोजक/सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य सचिव


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)


क्रमांक :- F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी)/का.वि./2019/6195-6203
प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


दिनांक:- 11.04.2019

1. निजी सचिव, आयुक्त, महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज मीणा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)


15/4


15/4
र.ए.


15/4
(सूचक)